भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2543

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा चेहरे की पहचान करने संबंधी प्रौद्योगिकी का प्रयोग

2543. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) अपने कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए चेहरे की पहचान करने संबंधी प्रौद्योगिकी (एफआरटी) को किस कानूनी कार्यढ़ाचे के अंतर्गत लागू करना चाहता है;

(ख) क्या सरकार की मंशा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में एफआरटी के प्रयोग का विस्तार करने की है;

(ग) एनटीपीसी द्वारा एफआरटी के प्रयोग से उसके कर्मचारियों की निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, के संबंध में सरकार द्वारा क्या कानूनी औचित्य दिया गया है;

(घ) क्या कर्मचारियों के लिए एफआरटी के अधीन आने के लिए स्पष्ट सहमति देना अपेक्षित होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सहमति कैसे ली जाएगी तथा स्पष्ट सहमति नहीं देने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी फेसियल रिकोग्नीशन टैक्नोलोजी (एफआरटी) के क्रियान्वन में इलैक्ट्रोनिक एवं बायोमैट्रिक आंकड़ों के लिए लागू देश के कानून का अनुपालन करती है। विकासशील संगठन के रूप में, एनटीपीसी द्वारा अनुशासन, गुणवत्ता और व्यक्ति की निजिता से समझौता किए बिना कर्मचारियों की उपस्थिति लेने के संदर्भ में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। इस पृष्ठभूमि में, एनटीपीसी एफआरटी सहित अपने कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति का उपयोग कर रही है। कोविड के समय के दौरान एफआरटी के उपयोग में वृद्धि हुई है क्योंकि यह कर्मचारियों की संपर्क रहित उपस्थिति लेती है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं संरक्षा में वृद्धि हुई है। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) अपने निगमित अभिशासन आवश्यकताओं के आधार पर उपस्थिति प्रोटोकॉल पर स्वयं निर्णय लेते हैं। विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ग) से (ङ) : एनटीपीसी ने उपस्थिति हेतु लिए गए बायामैट्रिक आंकड़ों की सुरक्षा और एनटीपीसी में अभिगम नियंत्रण प्रणाली संबंधी आंतरिक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। एनटीपीसी की नीति के अनुसार, एफआरटी के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों की सहमति आवश्यक नहीं होती है।

****